शोध सार

प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध **"वाराणसी में गंगा प्रदूषण तथा जन-भागीदारी"** गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम और निवारण करने में आम-जन की भागीदारी से संबंधित है।

गंगा नदी के किनारे बसे 'वाराणसी' शहर को मंदिरो का शहर भी कहा जाता है। यहाँ अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक गंगा के किनारे कई मन्दिर बने हुये हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं के साथ-साथ वाराणसी शहर के हजारों लोग प्रति-दिन गंगा में स्नान करते हैं तथा घाटों पर बने मंदिरो में पूजा करते हैं और साथ ही साथ फूल और मालाएं भी चढ़ाते हैं। मंदिरो में प्रतिदिन इकट्ठा होने वाली फूल और मालाओं को भी गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है जो सड़ने के पश्चात गंगा नदी को प्रदूषित करती है।

वैश्वीकरण की अन्धी दौड़ शुरु होने के साथ ही गंगा नदी में प्रदूषण होना आरम्भ हो गया, औद्योगिक कारखानों का लाखों गैलेन दूषित पानी प्रतिदिन गंगा नदी में गिराया जाने लगा, दूसरी ओर गैर जिम्मेदाराना तरीके से फैले शहर के सीवरों का गंदा पानी भी गंगा में गिराया जाने लगा जिससे गंगा नदी और अधिक मात्रा में प्रदूषित होने लगी।

'उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' ने प्रदेश में 21 जगहो से गंगा जल की गुणवत्ता को जानने के लिए सैपंल लिए। इसमें वाराणसी के घाटों का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित मिला।

वाराणसी में तीन जगहों से पानी के सैपंल लिए गए। इसमें अपस्ट्रीम वाराणसी, डाऊनस्ट्रीम वाराणसी और डाऊन स्ट्रीम तारी घाट शामिल है। वहाँ पर डिसाल्व ऑक्सिजन (DO_2) की मात्रा मानक के अनुसार 6/ml होनी चाहिए जो वहाँ 8.60/ml से 8.20/ml थी।

इसी तरह बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड (BOD) 2/ml होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी मात्रा भी 3.30/ml से लेकर 5.50/ml तक बढ़ गयी थी।

गंगा नदी को साफ करना भारत सरकार और आमजन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती गंगा में हर तरफ से आ रहे मल-मूत्र का कचरा तथा औद्योगिक कचरा है। वाराणसी शहर में 33 नालों के माध्यम से लगभग 350 मिलियन लीटर प्रति-दिन (MLD) गंदा पानी गंगा में गिराया जाता है। इसके अलावा मणिकर्णिका व हरिश्चन्द्र घाट पर वर्ष भर में 800 टन राख शव दहन के पश्चात निकलती है और यह राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाती है जिससे गंगा प्रदूषित हो रही है।

'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' ने 1984 में गंगा बेसिन सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट में गंगा प्रदूषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इस आधार पर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पहला एक्शन प्लान 1985 में अस्तित्व में आया। इसके तहत कार्य शुरु किया गया परन्तु सफलता बेहद कम मिली।

इसी क्रम में एक के बाद एक कई योजनाएँ चलाई गयी तथा इन योजनाओं पर 30 वर्षों में लगभग 20000 करोड रुपये खर्च हो चुके हैं परन्तु गंगा नदी अभी तक स्वच्छ नहीं हो पायी। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेन्द्र मोदी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया, इसके बाद उन्होंने जुलाई 2014 में भारत के आम बजट में 'नमामि गंगे' नामक एक परियोजना आरम्भ की। इस परियोजना के तहत भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित 48 औद्योगिक इकाईयों को बन्द करने का आदेश दिया है। गंगा सफाई अभियान के तहत नरेंद्र मोदी ने वाराणसी शहर व गंगा नदी तथा गंगा तट पर बने घाटों की सफाई हेतु एक से अधिक सफाई अभियान चलाएँ, जिसमें वाराणसी के आम-जन ने भी अपना सहयोग दिया।

परिणामस्वरुप वर्तमान समय में गंगा तट पर बने घाट और वाराणसी शहर पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं। यदि गंगा नदी के आस-पास के स्थल स्वच्छ रहेंगे तो गंगा नदी 30 % तक स्वयं ही स्वच्छ हो जाएगी।

अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए आम-जन को गंगा नदी के प्रति जागरुक करने की आवश्यकता है तथा सफाई अभियान को ईमानदारी पूर्वक संचालित करना होगा तभी गंगा स्वच्छ हो पाएगी।